



फ.सं. 11072-2/(डीईएलआई)2019- केविस(प्रशा.)/293

दिनांक-26.06.2019

कार्यालय आदेश

राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन के दिनांक 12.06.2019 के कार्यालय ज्ञापन सं. डी. 12043/1/2019-ईबीए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के दिनांक 24.06.2019 के आदेश सं पी एस /डी ई /आरपीएसवी /सी डी/6105-14/119 तथा मा.सं.वि. मंत्रालय के दिनांक 26.06.2019 के कार्यालय ज्ञापन सं. 16-25/2019 यू.टी.-2 के अनुसरण में राष्ट्रपति एस्टेट, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में ' विशेष परियोजना मोड ' के तहत 01.07.2019 से ' डॉ राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय ' खोलने हेतु सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की सूचना एतद द्वारा प्रेषित की जाती है ।

विद्यालय पहली जुलाई, 2019 से कक्षा 1 से 12 तक (तीन सैक्शनों वाला विद्यालय) संचालित होगा ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने अपने दिनांक 24.06.2019 के आदेश द्वारा 'डॉ. राजेंद्र प्रसाद सर्वोदय विद्यालय', राष्ट्रपति एस्टेट के विद्यालय भवन तथा अन्य अवसंरचना 'जहां है जैसे है' के आधार पर कब्जा केंद्रीय विद्यालय संगठन को सौंपने हेतु पहले ही अपने निर्णय की जानकारी दे दी है। वर्तमान 'डॉ राजेंद्र प्रसाद सर्वोदय विद्यालय' में जो छात्र पढ़ रहे हैं उन्हें के.वि.सं. द्वारा संबन्धित कक्षाओं में ले लिया जाएगा ।

(डॉ. शची कान्त)
संयुक्त आयुक्त (कार्मिक)

वितरण-

1. मा.सं.वि. मंत्री-सह-अध्यक्ष, के.वि.सं. के निजी सचिव ।
2. सचिव (एसई एंड एल), मा.सं.वि. मंत्रालय-सह-डेप्युटी चेररमैन, के.वि.सं. के वरिष्ठ पीपीएस ।
3. संयुक्त सचिव (ईई), मा.सं.वि. मंत्रालय- सह- वाइस- चेररमैन, के.वि.सं. के वरिष्ठ पीपीएस ।
4. सचिव (शिक्षा), जी एन सी टी, दिल्ली, पुराना सचिवालय, दिल्ली ।
5. श्री पवन कुमार सेन, उप-सचिव, राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
6. उप-सचिव (यूटी), मा.सं.वि. मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
7. विशेष निदेशक, जी एन सी टी दिल्ली, पुराना सचिवालय, दिल्ली ।
8. शिक्षा उपनिदेशक (मध्य/ नई दिल्ली), झंडेवालान, नई दिल्ली ।
9. प्राचार्य डॉ. राजेंद्र प्रसाद सर्वोदय विद्यालय, राष्ट्रपति एस्टेट, नई दिल्ली ।
10. आयुक्त, के.वि.सं. के निजी सचिव ।
11. अपर आयुक्त (कार्मिक/प्रशा./प्रशि./ वित्त), के.वि.सं. के निजी सचिव ।
12. संयुक्त आयुक्त (शै.), के.वि.सं.(मु.) को इस अनुरोध के साथ कि जीएनसीटी दिल्ली के उक्त विद्यालय की वर्तमान स्थिति के अनुसार कर्मचारी स्वीकृति आदेश जारी करें ।
13. सहायक आयुक्त (स्था. । एवं II & III) को इस अनुरोध के साथ कि कर्मचारियों की तैनाती तुरंत करें ।

14. उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली ।
15. सचिव, सीबीएसई, 2 कम्यूनिटी केंद्र, प्रीत विहार, दिल्ली-92
16. समस्त अधिकारी/ अनुभाग, के.वि.सं.(मु.) ।
17. उपायुक्त, के.वि.सं., समस्त क्षेत्रीय कार्यालय ।
18. निदेशक, समस्त जेडआईईटी, के.वि.सं. ।
19. उपायुक्त (ईडीपी), के.वि.सं. को इस आदेश को के.वि.सं. की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
20. गार्ड फ़ाइल ।
